

निर्णय बर्डजलास श्री हरि मोहन मीना आई0ए0एस0 जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
झालावाड़ (राजस्थान)

मिसल न0 22 / प्रा0पत्र / 21

“एयू.स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड”(जो पूर्व में “ए.यू. फाईनेन्सर्स(इंडिया)लिमिटेड” के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय 19-ए.धुलेश्वर गार्डन,अजमेर रोड,जयपुर में स्थित व कार्यरत है।

बनाम

01. मेसर्स जेएसआर एसोसिएट्स जरिये प्रोपराईटर-जयदीपसिंह राठौड़, (ऋणी)

2 जी 10 ,रंगबाड़ी सी-स्कीम,कोटा

02. जयदीपसिंह राठौड़ पुत्र रूपसिंह राठौड़ (सह ऋण / बंधककर्ता)

पता: बी-217 तलवण्डी कोटा फुटा तालाब,आनन्दपुरा जिला कोटा

दूसरा पता:-पट्टा/हाउस न0 जेडब्ल्यूआर 35125/खसरा न0 280ग्राम चलेट, ग्राम पंचायत बिसनखडी पंचायत समिति खानपुर झालावाड़

तीसरा पता: पट्टा/हाउस न0 जेडब्ल्यूआर 35123/खसरा न0 280ग्राम चलेट, ग्राम पंचायत बिसनखडी पंचायत समिति खानपुर झालावाड़



प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम-2002

-: निर्णय :-

दिनांक: 30.11.21

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा जर्ज अधिकृत प्रतिनिधि सिक्योरिटीजेशन एक्ट 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत सहायता प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी 1 द्वारा वित्तीय संस्था से दिनांक 18.12.2019 को रुपये 9,65,000/- का ऋण लिया था व उक्त ऋण व उसके ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में जयदीपसिंह राठौड़ पुत्र रूपसिंह राठौड़ की सम्पत्ति:-पट्टा/हाउस न0 जेडब्ल्यूआर 35125/खसरा न0 280ग्राम चलेट, ग्राम पंचायत बिसनखडी पंचायत समिति खानपुर झालावाड़ जिसका क्षेत्रफल 851 स्क्वायर फीट, व पट्टा/हाउस न0 जेडब्ल्यूआर 35123/खसरा न0 280ग्राम चलेट, ग्राम पंचायत बिसनखडी पंचायत समिति खानपुर झालावाड़ क्षेत्रफल 1219 स्क्वायर फीट जिन पर निर्मित भवन एवं ढांचा आदि को प्रार्थी के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को नियमानुसार ऋण नहीं चुकाने पर दिनांक 11.01.2021 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया गया। प्रार्थी बैंक ने एन पी ए घोषित होने के कारण एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 24.05.2021 को नोटिस दिये गये परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवाई गई। अप्रार्थीगण के खाते में बकाया राशि 10,86,595(अक्षरे दस लाख छियास्सी हजार पांच सौ पिचानवे मात्र) दिनांक 22.05.2021 तक शेष हैं व आगे का ब्याज व खर्च आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिये अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। सिक्योरिटीजेशन एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी सिक्योरिटी रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि को वसूल करने का अधिकारी है। उपरोक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलवाया प्रार्थी बैंक या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाने का अनुरोध किया गया है।

सरफैसी अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत ऋणी को सुनने का प्रावधान नहीं है किन्तु न्यायहित में अप्रार्थी को न्यायालय हाजा द्वारा भी रजिस्टर्ड सूचना पत्र भिजवाये गये लेकिन अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। हमारे द्वारा पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया गया। बैंक को ऋणी द्वारा ऋण का भुगतान नहीं करने पर दिनांक 11.01.2021 को व्यक्तिगत डिफाल्ट होने पर एन.पी.ए. घोषित किया गया है, ऋणी के विरुद्ध रुपये 10,86,595 (अक्षरे दस लाख छियास्सी हजार पांच सौ पिचानवे मात्र) दिनांक 22.05.2021 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके बाद की ब्याज व अन्य खर्च हेतु उपरोक्तानुसार मांग की गई। उक्त राशि का भुगतान करने के लिये ऋणी जिम्मेदार है। ऋणी द्वारा बैंक से लिये गये ऋण की राशि का नियमानुसार भुगतान नहीं किये जाने, तत्पश्चात बैंक द्वारा बकाया मांग राशि की प्राप्ति हेतु नियमों के परिपेक्ष्य में समुचित कार्यवाही करने तत्पश्चात भी मांग राशि का भुगतान ऋणी द्वारा नहीं किये जाने पर बैंक द्वारा जरिये प्राधिकृत अधिकारी वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा की धारा 14 के तहत बैंक द्वारा गिरवीकृत परिसम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को सुपुर्द करने की मांग की गई है। सरफैसी एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टी पश्चात जमानत स्वरूप बन्धक रखी गई सम्पत्ति को बैंक को कब्जे में दिलवाने में सहयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है- बैंक द्वारा समस्त विधिक औपचारिकताओं की पूर्ति की गई है व इस बाबत शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्तानुसार प्रा0पत्र के सलंगन शपथ को दृष्टिगत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रा0पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। ऋण व बकाया रकम की अदायगी हेतु ऋणी/अप्रार्थी द्वारा बैंक में गिरवीकृत परिसम्पत्ति जयदीपसिंह राठौड़ पुत्र रूपसिंह राठौड़ की सम्पत्ति:-पट्टा/हाउस न0 जेडब्ल्यूआर 35125/खसरा न0 280ग्राम चलेट, ग्राम पंचायत बिसनखडी पंचायत समिति खानपुर झालावाड़ जिसका क्षेत्रफल 851 स्क्वायर फीट, चतुर्थ सीमा पूर्व में रांड,पश्चिम में सेल्फ हाउस,उत्तर में हमीर सिंह का मकान व दक्षिण में पवन गौतम का मकान व दुसरी सम्पत्ति पट्टा/हाउस न0 जेडब्ल्यूआर 35123/खसरा न0 280ग्राम चलेट, ग्राम पंचायत बिसनखडी पंचायत समिति खानपुर झालावाड़ क्षेत्रफल 1219 स्क्वायर फीट जिसकी चतुर्थ सीमा पूर्व में रोड,पश्चिम में दलवीरसिंह का मकान,उत्तर में हमीर सिंह का मकान व दक्षिण में पवन गौतम का मकान जिन पर निर्मित भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है उक्त सम्पत्ति पर शांति पूर्वक मौके पर भौतिक कब्जा प्रार्थी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को दिलाये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक,झालावाड़ को आदेशित किया जाता है। प्रार्थी इस बाबत पुलिस अधीक्षक, झालावाड़ से सम्पर्क कर ऋणी बैंक में गिरवीकृत सम्पत्ति को अपने अधिकार में लेने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति प्रार्थी बैंक व पुलिस अधीक्षक,झालावाड़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/11/21 को मेरे द्वारा टिकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)
जिला कलक्टर, जयपुर, राजस्थान
झालावाड़